

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 11-6-19

सं०-14/प्र० 106/2017-सा०प्र०-7824/ वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक - 14.7.10 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तम्भ '4' में अंकित तिथि से पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-अपुनरीक्षित (पे लेवल-12 पुनरीक्षित) में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्ष 2011 का कोटि क्रमांक	द्वितीय रू० सु० वृत्ति उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4
1.	श्री चन्द्रकेत नारायण सिंह	382	01.01.09
2.	श्री सच्चिदानन्द चौधरी	388	30.12.15
3.	श्री रघुनन्दन झा	396	01.01.09
4.	श्री उदय कृष्ण	402	01.01.09
5.	श्री राजकुमार	429	01.01.09
6.	श्री विजय कुमार	434	10.06.12
7.	मो० बशीर	452	01.04.12
8.	मो० मोवीन अली अंसारी	459	15.05.09
9.	श्री सीताराम यादव	460	15.05.09
10.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	463	13.06.09
11.	श्री सुरेन्द्र झा	465	15.06.09
12.	श्री कृष्ण मोहन प्रसाद	472	25.05.09
13.	श्री राजेश कुमार	473	15.05.09
14.	श्री संजय प्रियदर्शी	483	16.05.09
15.	श्री रामजी साह	486	25.05.09
16.	मो० कासिम अंसारी	494	15.05.09
17.	श्री किशोरी पासवान,	557	01.07.16
18.	मो० बलागुद्दीन,	569	01.07.13
19.	श्री राम निरंजन चौधरी	828/08 593/ 11-A	01.07.17
20.	श्री राजकुमार झा,	599	15.06.12
21.	श्री मुकेश प्रसाद,	607	18.05.12
22.	श्री महफूज आलम,	620	02.07.12
23.	श्री कमलेश सिंह	659	01.07.15
24.	श्री ओम प्रकाश महतो	672	01.03.13
25.	श्री शत्रुंजय कुमार मिश्र	673	01.03.13
26.	श्री अशोक कुमार	677	01.03.13

निर्देश

27.	श्री शिव कुमार शैव	680	02.03.13
28.	श्री अरुणाभ चन्द्र वर्मा,	716	26.05.15
29.	श्री कृष्ण मोहन प्रसाद,	726	08.06.15
30.	श्री नवीन,	727	27.05.16
31.	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता,	732	01.04.17
32.	श्री संजय कुमार,	734	01.07.16
33.	श्री रवीन्द्र नाथ प्रसाद सिंह,	749	25.05.15
34.	श्री अजय कुमार,	752	26.05.15
35.	श्री विजय कुमार उपाध्याय,	756	14.06.16
			(द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ, एल०पी०ए० सं-1324/18 में पारित होने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी)
36.	श्री शैलेन्द्र कुमार,	776	27.6.15
37.	श्री विमल कुमार मंडल,	787	29.05.15
38.	श्री मनोज कुमार,	790	28.06.15
39.	श्रीमती ऋचा कमल,	793	15.06.15
40.	श्री दिनेश कुमार मंडल,	806	01.07.18
41.	श्री शशि शेखर चौधरी,	810	12.06.15
42.	श्री अहमद महमूद,	849	08.01.16
43.	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र	867	01.03.09
44.	श्री दिनेश कुमार,	885	09.01.16
45.	श्री हरि शंकर राम,	897	13.01.16
46.	श्री विवेक कुमार,	898	16.01.16

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 में निहित सुसंगत प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।
3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
( विमलेश कुमार झा )  
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-14/प्र० 106/2017-सा०प्र०-7824 पटना-15, दिनांक- 11-6-19  
प्रतिलिपि : प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/



सभी संबंधित पदाधिकारी/ प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 27 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत किया जाय ।

  
सरकार के अपर सचिव ।